86/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अतः अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के कथनों पर सहमति जताते हुए अपील प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। मूल वाद के निस्तारित हो जाने से हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	